—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 116 / 2021

उनवान

1. श्रीकिशन पुत्र रामकरण
2. जय सिंह पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम सूरजपुरा, नसीराबाद, अजमेर

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नौरतमल पुत्र चुन्नीलाल जाति सोनी निवासी ग्राम मोराझडी, नसीराबाद
2. उप पंजीयक, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— 1 अनुपस्थित
2 व 3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू रा0 अधि0 1956

—: निर्णय :— दिनाँक :— 24.3.23

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी की निम्न आराजी वादीगण की क्रयशुदा है :—

चौसाला ख0न0	रकबा	वंर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
1511	2—15—0	1622	2—15—0	374	0.25
				375 / 2458	0.20

उक्त आराजी मूल खातेदार चुन्नीलाल पुत्र लालचन्द सुनार से वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के दादा रामकरण पुत्र हीरा द्वारा क्रय की गयी। वंर्किंग जमाबंदी में क्रेता रामकरण पुत्र हीरा को खातेदार दर्ज किया गया। रामकरण पुत्र हीरा की मृत्यु हो गयी है के वारिस वादीगण है। विक्रेता के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। बंदोबस्त विभाग ने आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र के अनुसार क्रेता अथवा उसके वारिसो के नाम करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता के नाम दर्ज कर दी तथा उसकी विरासत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करता है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

निवेदन किया प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होता है। वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।
प्रकरण का खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये
तथा सोभाग व जय सिंह के बयान करवाये।
अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मोराझडी के चौसाला खसरा नम्बर 1511 वर्किंग खसरा नम्बर 1622 रकबा 2-15-0 की आराजी तत्कालीन खातेदार चुन्नीलाल पुत्र लालचन्द से हीरा पंजीबद्ध विक्रय पत्र रामकरण पुत्र हीरा को दिनांक 02.12.74 को विक्रय कर कब्जा व दखल सौप दिया। नामान्तकरण संख्या 47 द्वारा तत्कालीन खातेदार चुन्नीलाल पुत्र लालचन्द के स्थान पर रामकरण पुत्र हीरा को खातेदार दर्ज किया गया। वर्किंग जमाबदी में भी उक्त नामान्तकरण के आधार पर आराजी मुतनाजा केता रामकरण पुत्र हीरा के नाम अंकित की गयी। वर्किंग खसरा नम्बर 1622 के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.25 व 375/2452 रकबा 0.20 बंदोबस्त विभाग द्वारा पुनः विकेता के नाम तथा बाद में दिवासत में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया। जबकि विक्रय पत्र के अनुसार आराजी मुतनाजा केता अथवा उसके वारिसान के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। वादीगण के पूर्वज ने आराजी मुतनाजा पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर जरियें पजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की है। जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 खण्डन हेतु उपस्थित नही हुये है। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वाद के कथनों की पुष्टि भी होती है। अतः असाराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.25 व 375/2452 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण का उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

[illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि. 1955 व धारा 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर [illegible]

पेश करने की दिनांक [illegible]

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई फरीक अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.) व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई, राज्य पैरोकार अभिभाषक निम्नांकित मुद्दायला पेश हो कर [illegible] व डिक्री दी जाती है कि :

ग्राम [illegible] के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा [illegible] व 375/[illegible] रकबा [illegible] 20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ———— को सालाना आज की तारीख से यांन दसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन 2023 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बावत् इजराय हुक्मनामा	
बावत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:34 IST
Reason: SelfAttested